



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220904
CG-DL-E-06082020-220904

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331]
No. 2331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2020

का.आ. 2630(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1(क) और उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अजय त्यागी की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि को 01.09.2020 से 28.02.2022 तक 18 माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं.2/16/2019-आर.ई.]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2020

S.O. 2630(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1)(a) and Sub-Section (4) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with Rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby extends the term of appointment of Shri Ajay Tyagi as Chairman of the Securities and Exchange Board of India for a further period of 18 months w.e.f. 01.09.2020 upto 28.02.2022 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/16/2019-RE]
ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.